v/;k;&V % vU; dj çkfIr;k¡

5-1 y[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2005–06 के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 371 मामलों में अन्तर्निहित 210.75 करोड़ रुपये के कर, शुल्क, चुंगी के अवनिर्धारण एवं राजस्व के हानि इत्यादि का पता लगा, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

¼djkM #i; e½

Øe l-	Jf.k;k	ekeyk dh l[;k	jkf'k
d	Hk&jktLo		
1.	उपकर एवं/या बकाया उपकर पर ब्याज का नहीं/कम उद्ग्रहण	49	3.51
2.	सलामी एवं व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं होना	87	16.71
3.	सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना	25	1.27
4.	सैरातों की बंदोवस्ती नहीं होना	41	2.03
5.	अन्य मामले	70	5.49
6.	भू–राजस्व के उदग्रहण एवं सग्रहण पर समीक्षा	1	160.63
	dy	273	189-64
[k	çoś'k dj		
1.	कर का नहीं/कम उद्ग्रहण	29	4.77
2.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	2	0.14
3.	अर्थदण्ड का उद्ग्रहण नहीं होना	3	0.21
4.	कर के गलत दर का लगाया जाना	3	0.04
5.	आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कम उद्ग्रहण	1	0.16
6.	अधिक कर संग्रह के लिए अर्थदंड नहीं लगाया जाना	1	0.05
7.	अन्य मामले	10	0.45
	dy	49	5-82
x	enkd 'kYd ,o fucU/ku 'kYd		
1.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	2	0.59
2.	संशोधित दरों की विलंब से प्राप्ति के कारण मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की कम वसूली	2	0.20
3.	अन्य मामले	16	1.68
	dy	20	2-47
?k	bZ[k ij dj		
1.	बकाया कर पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया जाना	12	1.18
2.	मिल से चीनी निकालने पर कर की वसूली न होना	5	6.41
3.	अन्य मामले	12	5.23
	dy	29	12-82
	dy ;kx	371	210-75

वर्ष 2005–06 के दौरान संबंधित विभागों ने 12 मामलों में शामिल 1.05 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जो वर्ष 2005–06 में इंगित किये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले ''भू–राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण'' पर एक समीक्षा सहित जिसमें 165.83 करोड़ रुपये का कर प्रभाव सन्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है :

5-2 lehk{kk ¼Hkw&jktLo dk mnxzg.k ,oa laxzg.k

eq[; va'k

- मार्च 2006 तक 113.76 करोड़ रुपये के बकाए संग्रह के लिए लंबित थे।

¼dafMdk 5-2-8½

- रैय्यतों द्वारा कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर व्यावसायिक लगान के निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप 4.37 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

¼dafMdk 5-2-9½

- खास महाल पट्टों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बगैर बिक्री/हस्तानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त लगान के भुगतान के बगैर पट्टों को अधिग्रहित कर लिया गया। परिणामस्वरूप 140.51 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

¼dafMdk 5-2-11½

- लोगों द्वारा अतिक्रमित सरकारी भूमि को न तो खाली कराया गया और न ही बन्दोबस्ती की गई जिसके फलस्वरूप सलामी और लगान के रूप में 60 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

¼dafMdk 5-2-14½

- 15750 एकड़ भूदान भूमि की बन्दोवस्ती योग्य व्यक्तियों के साथ नहीं होने से लगान एवं उपकर के रूप में 12.49 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

¼dafMdk 5-2-16½

vuq'kalk,¡

5-2-1 सरकार यह विचार कर सकती है कि

- भू–लगान/उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण तथा पट्टों के नवीकरण इत्यादि के लिए अधिनियम/नियम के प्रावधान एवं विभाग के अनुदेशों का अनुपालन होना चाहिए; एवं
- राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण के अनुश्रवण हेतु आंतरिक नियंत्रण विकसित किया जाये।

çLrkouk

5-2-2 राज्य में भू–राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण मुख्य रूप से बिहार टिनेन्सी एक्ट (बी टी एक्ट), 1885 यथा समय समय पर संशोधित बिहार लैण्ड रिफॉर्म एक्ट (बी एल आर एक्ट) 1950, बिहार पब्लिक लैण्ड एन्क्रोचमेन्ट एक्ट, 1956 (बी पी एल ई एक्ट), बिहार लैण्ड रेण्ट (भुगतान से छूट) एक्ट, 1982 तथा बिहार गवर्नमेन्ट एस्टेट (खास महाल) मैनुअल 1953 के प्रावधानों एवं इन एक्ट के तहत बनाए गए नियमों से शासित है।

25 सितंबर 1950 से प्रभावी बी एल आर एक्ट के अधिनियमन के साथ भू–प्रबंधन, अभिलेखों का अनुरक्षण तथा राजस्व का संग्रहण सरकार के नियंत्रण में आया। बिहार गवर्नमेन्ट एस्टेट (खास महल) मैनुअल भूमि अभिलेखों, भू–राजस्व के माँग, संग्रहण एवं शेषों के लिये पंजियों एवं प्रतिवेदनों के संधारण का प्रावधान करता है। चूँकि भूमि सरकार में निहित है, राज्य में भूमि का सर्वे नहीं कराया गया, जिसके कारण बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में निर्धारित भू–लगान ही अब तक उद्ग्रहित किया जा रहा हैं।

भू–लगान के अलावे, उपकर यथा पथ–उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर एवं कृषि विकास उपकर, बंगाल उपकर अधिनियम 1880 (यथा बिहार सरकार द्वारा अपनाया और समय–समय पर संशोधित किया गया) के प्रावधानों के अनुसार उदग्रहणीय है।

lxBukRed <kpk

5-2-3 आयुक्त सह सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस विभाग के प्रधान होते हैं। वे राजस्व, बन्दोबस्ती नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुशल प्रशासन के लिए राज्य को नौ राजस्व प्रमंडलों में बांटा गया है, प्रत्येक प्रमंडल प्रमंडलीय आयुक्त के नियंत्रणाधीन होता हैं। सभी प्रमंडल 38 जिलों में विभक्त हैं, प्रत्येक जिला का प्रधान समाहर्त्ता होते हैं जिनकी सहायता अपर समाहर्त्ता द्वारा की जाती है। यहाँ 99 अनुमण्डल हैं, प्रत्येक का प्रधान एक अनुमंडल पदाधिकारी होता है जो उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं। प्रखंड स्तर पर यहाँ 510 *अंचल* हैं। उपकरों सहित भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण के लिए अंचलाधिकारी, अंचल का प्रभारी होता है। प्रत्येक अंचल में राजस्व का संग्रहण मूल रूप से *हल्का*[1] *कर्मचारी* के द्वारा किया जाता है।

y[kkijh{kk dk mís';

5-2-4 समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि :

- भू–अभिलेखों के उचित प्रबंधन तथा राज्य के राजस्व के संरक्षण हेतु अधिनियमों, नियमों के प्रावधानो एवं कार्यपालक अनुदेशों को लागू किया गया है; तथा
- विभाग के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में है जो विश्वसनीय है तथा भू–राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए दक्षतापूर्वक कार्य कर रही है।

y[kkijh{kk dk {k=

5-2-5 फरवरी एवं मई 2006 के दौरान वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लिए चार अपर समाहर्त्ता (राजस्व), पाँच उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार एवं 14 अंचलाधिकारियों के अभिलेखों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आयुक्त सह सचिव के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये बिन्दुओं को भी इस समीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

vkrfjd fu;=.k i.kkyh

5-2-6 आंतरिक नियंत्रण, कानून, नियमों एवं विभागीय अनुदेशों को सही ढंग से लागू करने हेतु यथोचित आश्वासन प्रदान करने हेतु अभिप्रेत करता हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा,

---

[1] *राजस्व अंचल की प्राथमिक इकाई।*

आंतरिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसे समान्य तौर पर किसी संगठन को स्वयं आश्वस्त होने के लिए कि प्रणालियां यथोचित ढंग से कार्यरत हैं, आवश्यक सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है।

बिहार गवर्नमेण्ट एस्टेट (खास महाल) मैनुअल, समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित पंजियों/प्रतिवेदनों के संधारण हेतु प्राविधित करता है।

5.2.6.1 प्रतिवेदन I एवं II अंचल, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर तैयार एवं संधारित किया जाता है जिसमें राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाए की समेकित विवरणी दर्शायी जाती है। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग द्वारा लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का अनुश्रवण किया जाता है।

63 में से 34 अंचलों के प्रतिवेदन I की नमूना जाँच में यह पाया गया कि समेकित मांग, संग्रहण एवं बकाए को दर्शाने वाला प्रतिवेदन I उचित ढंग से संधारित नहीं था।

5.2.6.2 पंजी II का संधारण अंचलों में किया जाता है, जिसमें प्रत्येक रैय्यत के लिए अलग पृष्ठ आबंटित रहता है जिसमें लगान के वार्षिक मांग को दर्ज किया जाता है।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान 19 में से 9 अंचलाधिकारियों ने पंजी II प्रस्तुत नहीं किया तथा अन्य मामलों में पंजी II उचित ढंग से संधारित नहीं था।

5.2.6.3 अंचल स्तर पर प्रतिवेदन III संधारित किया जाता है जिसमें पंजी II के आधार पर वैसे चूककर्त्ताओं की विस्तृत सूची रहती है जिन्होंने बकायों का भुगतान नही किया है।

नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 19 में से 16 अंचलाधिकारियों ने प्रतिवेदन III का संधारण नहीं किया था।

5.2.6.4 पंजी IX का संधारण अंचल कार्यालय में किया जाता है जिसमें भू–लगान, उपकर के बकाए तथा बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1914 (पी डी आर एक्ट) के अधीन वसूली योग्य अन्य राजस्व को दर्ज किया जाता है।

नमूना जाँच में पता चला कि 19 में से 18 अंचलाधिकारियों ने पंजी IX का संधारण नहीं किया था।

5.2.6.5 राजस्व के संग्रहण हेतु पिछले वर्षों के बकायों की मांग, वर्ष के दौरान मांग का सृजन, संग्रहण एवं शेष (डी सी बी) को दर्शानेवाली एक पंजी का संधारण प्रत्येक अंचल में किया जाना है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चूककर्त्ताओं की एक सूची तैयार की जानी है, जिसकी जांच समाहर्त्ता द्वारा इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त एक पदाधिकारी द्वारा की जानी है जो जाँच के बाद उन मामलों में आदेश पारित करेंगे जिन्हें नीलाम पत्र निर्गत किया जाना है। उन्हें समाहर्त्ता के समक्ष 1 जुलाई से पहले एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है कि प्रतिवेदन की जाँच कर ली गई है।

पुनः एक प्रतिवेदन जिसमें भू–संपत्तियों के लगान तथा उपकर की माँग, संग्रह एवं शेष सन्निहित हो, डी सी बी पंजी मे दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया जाना है, जिसकी चर्चा उपर की गई है।

34 अंचलाधिकारियों[2], एक उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार[3] तथा दो अपर समाहर्त्ताओं[4] के

---

[2] *अस्थावां, आजमनगर, बाढ़, भभुआ, बारसोई, बांका, बौंसी, बेनीपुर, बिरौल, बख्तियारपुर, छपरा, चण्डी, चानन, दरभंगा, एकंगरसराय, हिलसा, काको, कटोरिया, कल्याणपुर, हाजीपुर, लालगंज, मोकामा, नवादा, नूरसराय, बेतिया, कटिहार, पण्डारक, रहुई, सुपौल, शेरघाटी, सराय रंजन, सकरा, उजियारपुर एवं वैशाली*

[3] *दलसिंहसराय*

[4] *दरभंगा एवं जहानाबाद*

प्रतिवेदनों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला कि प्रतिवेदनों में वर्ष के लिए वास्तविक वार्षिक देय लगान तथा अंतशेष को सही रूप से दर्शाया नहीं गया था तथा वह सिर्फ विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ही प्रदर्षित करता था। पिछले वर्ष के अंतशेष से चालू वर्ष के आरंभिक शेष में कोई तालमेल नहीं था। इस प्रकार, संबंधित अंचलों द्वारा विभाग को प्रेषित अंतशेष से उपकर सहित लगान के वास्तविक बकाए का पता नहीं लगा, जैसा कि विभाग द्वारा संपुष्ट किया गया था। चूककर्त्ताओं का ब्योरा नहीं दिया गया था जिसके कारण पी डी आर एक्ट के तहत आवश्यक नीलामवाद की कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी।

5-2-6-6 पी डी आर एक्ट के प्रावधानों के अंर्तगत बकाये की वसूली के लिए नीलामवाद की कार्यवाही की जाती है जिसके लिए रिक्वायरिंग ऑफिसर (आर ओ) सर्टीफिकेट ऑफिसर (सी ओ) को प्रस्ताव भेजता है तथा ऐसे मामलों की प्रविष्टि पंजी IX में करता है और सी ओ जब संतुष्ट हो जाता है कि समाहर्त्ता को भुगतेय कोई लोक माँग देय है, तो नीलामवाद पर हस्ताक्षर करता है।

19 अंचलाधिकारियों[5], चार उपसमाहर्त्ता[6], भूमि सुधार एवं तीन अपर समाहर्त्ताओं[7] के व्यावसायिक लगान पर मासिक प्रतिवेदनों की अप्रील 2005 से मई 2006 के दौरान की गईं संवीक्षा से यह पता चला कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान विभाग द्वारा वसूली योग्य लगान के 39.64 करोड़ रुपये में से मात्र 0.30 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। पी डी आर एक्ट के तहत बकाये वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई नीलामवाद की कारवाई आरंभ नहीं की गई थी।

5-2-6-7 भूमि के दाखिल–खारिज[8] के लिए प्राप्त आवेदनों को क्रमानुसार पंजी VIII में दर्ज किया जाएगा। सभी लंबित मामलों को पहले लाल स्याही से तत्पश्चात् नए मामलों को क्रमानुसार दर्ज किया जाना है।

अंचलाधिकारी, पटना सदर एवं हाजीपुर में दाखिल–खारिज मामलों तथा संबंधित पंजियों के नमूना जाँच में पाया गया कि दाखिल–खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों को पंजी VIII में दर्ज नहीं किया गया था जिससे मामलों के निष्पादन का अनुश्रवण करना कठिन था।

5-2-6-8 दाखिल–खारिज मामलों को तीन महीने के अन्दर निष्पादित करने तथा अंचलाधिकारी द्वारा मासिक निरीक्षण और उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार द्वारा समय–समय पर निरीक्षण करने का प्रावधान अप्रील 1969 में निर्गत सरकारी अनुदेश में किया गया था।

अंचलाधिकारी, वैशाली के दाखिल–खारिज पंजी तथा संबधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दाखिल–खारिज मामलों के निष्पादन में दो से तीन वर्षों का असाधारण विलंब हुआ था। अगस्त 2006 तक वर्ष 2002–03 के छः मामले, वर्ष 2003–04 के 14 मामले तथा वर्ष 2004–05 के 371 मामले लंबित थे।

पंजियों/प्रतिवेदनों का अनुचित/संधारण नहीं किया जाना, आंतरिक नियंत्रण उपायों के अनुपालन नहीं किये जाने का द्योतक था जिसके कारण राजस्व के निर्धारण एवं वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि अगली कंडिकाओं में वर्णित है :

---

[5] *बाढ़, बेतिया, भभुआ, छपरा, हाजीपुर, कटोरिया, लखीसराय, मोकामा, नवादा, नूरसराय, पण्डारक, पटना सदर, रजौली, रहुई, सकरा, समस्तीपुर, सन्देश, शेखपुरा एवं शाहपुर*

[6] *बारसोई, दलसिंहसराय, नालंदा एवं सुपौल*

[7] *दरभंगा, जहानाबाद एवं सारण*

[8] *पंजी II/ सरकारी अभिलेख में स्वामित्व का हस्तानान्तरण।*

5-2-7 jktLo dh çofr

5-2-7-1 वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न प्रकार थी :

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	ctV vkdyu	okLrfod çkfIr;k	of) ¼$½ gkl ¼&½	fHkUurk dh çfr'krrk
2000–01	37.61	34.33	(–) 3.28	9
2001–02	35.00	34.08	(–) 0.92	3
2002–03	56.19	36.15	(–) 20.04	36
2003–04	75.00	33.80	(–) 41.20	55
2004–05	84.00	33.39	(–) 50.61	60

बजट आकलनों एवं प्राप्तियों की वसूली के बीच काफी भिन्नताएँ थीं जो वर्ष 2002–03 एवं 2004–05 के दौरान 36 एवं 60 प्रतिशत के बीच थी। भिन्नता का कारण, यद्यपि मई 2006 में माँगे गए थे, जो नहीं बताए गए।

5-2-7-2 बिहार वित्तीय नियमावली भाग–I (बि वि नि) में विभाग के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) के आंकड़ों के साथ समय समय पर मिलान करने का प्रावधान है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं से यह पता चला कि विभाग और महालेखाकार (ले एवं हक) के आंकड़ों के बीच काफी भिन्नताएँ थीं जो नीचे दर्शायी गई है :

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	foÙk ys[ks ds vuqlkj	foHkkx ds vuqlkj	vUrj	fHkUurk dh çfr'krrk
2000–01	34.33	25.52	(–) 8.81	(–) 25.66
2001–02	34.08	27.70	(–) 6.38	(–) 18.72
2002–03	36.15	32.01	(–) 4.14	(–) 11.45
2003–04	33.80	31.17	(–) 2.63	(–) 7.78
2004–05	33.39	34.24	(+) 0.85	(+) 2.54

वित्त लेखे एवं विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति के भिन्नता (–) 7.78 एवं (–) 25.66 प्रतिशत के बीच रही, जबकि 2004–05 के दौरान यह विभागीय आंकड़ों में (+) 2.54 प्रतिशत थी। इससे साबित होता है कि विभाग ने आंकड़ों का मिलान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा दर्ज आंकड़ों से नहीं किया।

cdk;k dk lxg.k yfcr

5-2-8 बिहार टीनेन्सी एक्ट के अनुसार कृषि वर्ष[9] के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले भू–लगान का भुगतान रैय्यत द्वारा चार समान किस्तों में किया जाना चाहिए। समय पर भुगतान नहीं किया गया लगान कृषि वर्ष की समाप्ति पर बकाया माना जायगा जो पी डी आर एक्ट के तहत नीलामवाद की कार्यवाही के द्वारा वसूलनीय है।

सितंबर 2006 में सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 2006 तक विगत पांच वर्षों के लिये 113.76 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व का संग्रहण लंबित था। बकाए राजस्व का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

[9] *बी. टी. एक्ट, 1885 की धारा 53*

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	jkf'k
2000–01	16.52
2001–02	15.44
2002–03	17.76
2003–04	38.61
2004–05	25.43
dqy	113-76

हालाँकि, उम्रवार विश्लेषण एवं उन चरणों, जिनपर बकाए लंबित थे, की जानकारी मई 2006 में मांगी गई थी जिसे विभाग द्वारा नहीं दिया गया है (अक्टूबर 2006)।

Hkw&yxku dk fu/kkZj.k ugha gksuk

5-2-9 26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत एक *रैय्यत*[10] समाहर्त्ता से पूर्व अनुमति लेकर भूमि को कृषि के अलावे अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ला सकता है। समाहर्त्ता, ऐसी अनुमति देने से पूर्व पुनः यह निश्चय कर लेगे कि ऐसी भूमि का लगान बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत तक परन्तु तीन प्रतिशत से कम न हो। यदि कोई *रैय्यत* ऐसे उपयोग से पहले अनुमति नहीं लिया है, तो समाहर्त्ता उस अवधि के लिए जो उपयोग की तिथि या आवेदन की तिथि के बीच या पता लगने के समय, जैसा भी मामला हो, लगान की दो गुनी राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, जिसे भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी होगा।

अप्रील 2005 से मई 2006 के दौरान 18 अंचलाधिकारियों[11] एवं 6 उपसमाहर्त्ता[12], भूमि सुधार के कार्यालयों में संधारित व्यावसायिक लगान पंजियों में प्रविष्टियों तथा मामले के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 869 रैय्यतों ने 799.321 एकड़ कृषि योग्य भूमि का उपयोग बगैर अनुमति के आरा मिलों, बाजार–दूकानों, पेट्रोल पम्पों, होटलों, सिनेमा घरों, आटा मिलों एवं गोदामों आदि जैसे व्यावसायिक कार्यों के लिए किया था जिसे वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा पता लगाया गया था। इन मामलों में विभागीय प्राधिकारियों द्वारा व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के दौरान 4.37 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी जिसकी गणना मामले से संबंधित अभिलेखों में दर्ज भूमि के मूल्य के आधार पर की गई थी।

dkykrhr iê¨a dk uohdj.k ugha fd;k tkuk

5-2-10 बिहार गवर्नमेण्ट एस्टेट्स (खास महाल)[13] मैनुअल एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत पट्टे वाली खास महाल भूमि के लिए पट्टाधारी को पट्टों के कालातीत होने के छः माह पूर्व पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा नोटिस जारी करना है। पट्टाधारी को अपने पट्टे के नवीकरण हेतु इसके कालातीत होने के तीन माह पहले आवेदन करना है।

31 मार्च 1998 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (राजस्व–प्राप्तियाँ), बिहार सरकार के प्रतिवेदन की कंडिका 2.4 में उपर्युक्त विषय एवं राजस्व निहितार्थों की चर्चा की गई थी। लोक लेखा समिति ने जुलाई 2003 में इन

---

10 *रैय्यत – वह व्यक्ति जिसने स्वयं या वारिस सहित परिवार के सदस्य द्वारा खेती करने के लिए भूमि का अधिकार अर्जित किया है।*

11 *बलरामपुर, बारसोई, बिरौल, दरभंगा, एकंगरसराय, गोरौल, हाजीपुर, हिलसा, कांटी, लखीसराय, मोतिहारी, रजौली, सकरा, समस्तीपुर, शेरघाटी, सुपौल, उजियारपुर एवं वैशाली*

12 *औरंगाबाद, बेनीपुर, दलसिंहसराय, दरभंगा, नालंदा एवं समस्तीपुर*

13 *खास महाल – इसका अर्थ सरकार के सीधे प्रबंधन के अन्तर्गत सरकारी भू–संपदा है।*

चूकों को स्पष्ट कर समिति को छः माह के भीतर प्रतिवेदन देने की अनुशंसा की थी। हालाँकि समिति को कोई प्रतिवेदन अबतक नहीं भेजा गया है (अगस्त 2006)।

जनवरी एवं जून 2006 के बीच अपर समाहर्त्ता, पूर्णियां के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 30 वर्षों से 30,865 एकड़ खास महाल भूमि के 179 पट्टों का नवीकरण वर्ष 1970–71 से 2004–05 के बीच कालातीत होने के पश्चात् नहीं करया गया था तथा पट्टेधारियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों ने लगान के भुगतान किए बगैर पट्टे पर लगातार कब्जा किये हुये थे। उपर्युक्त मामले में, यद्यपि पट्टाधारियों ने अपने कालातीत पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन समय पर दिया था परन्तु पट्टों का नवीकरण नई शर्त्तों पर करने में विभाग की निष्क्रियता के कारण वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान पट्टे के लगान के 13.06 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर आयुक्त ने अक्टूबर 2006 में बताया कि कालातीत पट्टों के नवीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

LFkk;h iê d ekey e 'kÙkk dk mYy?ku

5-2-11 बिहार गवर्नमण्ट एस्टेट (खास महाल) मैनुअल प्राविधित करता है कि यदि एक पट्टाधारी सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना पट्टे के उद्देश्य को बदल देता है या सम्पत्ति हस्तानान्तरण करता है तो उसे उल्लंघनकर्त्ता माना जायगा और पूर्व में किए गए पट्टा–करारनामे की शर्त्तों के अनुसार उसका पट्टे को आगे रखने का कोई दावा नहीं होगा तथा सरकार ऐसी भूमि को पुनः प्राप्त कर सकती है। उल्लंघनकर्त्ताओं को उनकी मंशा बताने के लिए नोटिस जारी की जानी चाहिए कि यदि वे निर्धारित तिथि तक नये पट्टो पर भूमि लेने के इच्छुक हों तो सूचित करें। नये पट्टे पर आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्रमशः दो एवं पाँच प्रतिशत की दर पर वार्षिक लगान के अलावे भूमि के चालू बाजार मूल्य पर सलामी आरोपित होगा। दंड लगान के रूप में चूककर्त्ता को लगान का दोगुना भुगतान करना होगा जैसा कि नये पट्टे में चूक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है साथ ही 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर दंड ब्याज भी देना होगां

अपर समाहर्त्ता, पूर्णियां के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि खास महाल के 280.60 एकड़ भूमि 36 पट्टेधारियों के पास निरन्तर पट्टे पर था, जिसे उन्होंने बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बेच दिया था या हस्तानान्तरित कर दिया था तथा वर्ष 1983–84 से उल्लंघनकर्त्ता/अंतरिती लगातार उस भूमि पर बिना लगान के भुगतान के कब्जा जमाये थे। विभाग भूमि को पुनः प्राप्त करने अथवा नये शर्त्तों पर पट्टा देने में विफल रहा फलस्वरूप वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 140.51 करोड़ रुपये के राजस्व (सलामी : 114.23 करोड़ रुपये ; दण्ड लगान : 22.85 करोड़ रुपये एवं दण्ड ब्याज : 3.43 करोड़ रुपये) का उद्ग्रहण नहीं हो सका।

इसे बताए जाने के बाद आयुक्त ने अक्टूबर 2006 में बताया कि उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध भूमि खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)

dkfcy yxku[14] Hkwfe ij yxku fu/kkj.k ugh gkus ds dkj.k midj ,oa yxku dk mnxg.k ugh gkuk

5-2-12 बिहार टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत सरकार किसी मामले में, किसी स्थानीय क्षेत्र के भूमि, सम्पदा अथवा उसके हिस्से के मामले में राजस्व पदाधिकारी को सर्वे कर स्वामित्वों के अभिलेख तैयार करने का दिषा निर्देश हेतु आदेश दे सकती है। राजस्व पदाधिकारी स्वामित्वों के अभिलेखों के प्रकाशन के पश्चात प्रत्येक वर्ग के रैय्यतों के लिए स्पष्ट एवं न्यायसंगत लगान निर्धारित करेंगे।

अंचलाधिकारी, पूर्णियां, पूर्व (पूर्णियां सदर) के काबिल लगान भूमि पर लगान के निर्धारण एवं स्वामित्वों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1990 में सम्पन्न नगरीय सर्वे के अनुसार लगान निर्धारण हेतु 10,536.16 एकड़ काबिल लगान भूमि की पहचान की गई थी। इसमें से सिर्फ 146.31 एकड़ भूमि के लगान का निर्धारण वर्ष 1991–92 तक हुआ था। इस तरह मार्च 2006 तक 10,389.85 एकड़ भूमि लगान निर्धारण हेतु लंबित था। इसके फलस्वरूप वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लिये 1.21 करोड़ रुपये लगान एवं उपकर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताए जाने पर अंचलाधिकारी, पूर्णियां ने बताया (अगस्त 2006) कि काबिल लगान भूमि पर लगान निर्धारण हेतु कदम उठाए जा रहे है। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वामित्वों के अभिलेखों के प्रकाशन से 17 वर्षों की लंबी अवधि बीतने के बावजूद अंचलाधिकारी लगान निर्धारण करने में असफल रहे।

midj dk mnxg.k ugh gkuk

5-2-13 बिहार भू–लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम, 1982 के अधीन सरकार ने 1 अप्रील 1978 के प्रभाव से दो हेक्टेयर तक छोटी भूमि को भू–लगान के उद्ग्रहण से छूट दे दिया था, फिर भी, ऐसी भूमि को बिहार में लागू बंगाल उपकर अधिनियम 1880 के तहत उद्ग्रहण योग्य विभिन्न प्रकार के उपकर यथा पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर एवं कृषि विकास उपकर के उद्ग्रहण की छूट नहीं दी गई। वर्ष 1982 में विभिन्न श्रेणियों के उपकर की दरों को पुनरीक्षित करते समय सरकार ने सभी राजस्व पदाधिकारियों को भू–लगान के भुगतान से मुक्त किए गए *रैय्यतों* सहित सभी *रैय्यतों* से उपकर का संग्रहण एवं उद्ग्रहण करने का निर्देश दिया था।

अप्रील 2005 में अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छोटे रैय्यतों, जिन्हें भू–लगान से मुक्त किया गया था, के विरूद्ध विभिन्न उपकर की मांग सृजित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक की अवधि के लिए 88.15 लाख रुपये के उपकर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

ljdkjh Hkwfe dk vfrØe.k eqDr@cUnkscLrh ugh djk;k tkuk

5-2-14 बिहार पब्लिक लैंड एन्क्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया है तो उसे अतिक्रमण हटाने अथवा ऐसे सरकारी भूमि को गवर्नमेण्ट एस्टेट्स (खास महाल) मैनुअल 1953, के अनुसार उपयोग में लाने के लिए क्षतिपूर्ति तथा लगान के भुगतान पर बन्दोवस्ती करने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए। सरकारी भूमि के आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु व्यवहार करने से इसके मूल्य में हुई हानि के मामले में ऐसी भूमि के लिए प्रचलित बाजार मूल्य

---

[14] *काबिल लगान भूमि वे है जो वैध रूप से लगान निर्धारण योग्य हैं परन्तु अबतक उनपर लगान का निर्धारण नहीं हुआ है तथा जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5, 6 एवं 7 की सीमा में नहीं आये हैं।*

पर सलामी[15] के साथ वार्षिक आवासीय/व्यावसायिक लगान ऐसे सलामी का क्रमशः दो या पाँच प्रतिशत की दर से, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया जाना है।

चार अंचलाधिकारियों[16] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि वर्ष 1987–88 एवं 2004–05 के दौरान 35 व्यक्तियों ने 4.42 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर होटलों, दूकानों, बाजार एवं आवासीय मकानों के लिए उपयोग किया। विभाग द्वारा इन व्यक्तियों के साथ ऐसी भूमि की बन्दोबस्ती अथवा अतिक्रमण हटाने की कोई कारवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लिए लगान एवं सलामी के रूप में 60 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

lfUufgr Hkfe dh cUnkcLrh ugh gkuk

5-2-15 गैर मजरूआ खास–भूमि[17] (जी. एम. खास) में मध्यस्थों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया था तथा सभी ऐसी भूमि बिहार भूमि सुधार अधिनियम (बी एल आर एक्ट) के तहत सरकार के स्वामित्व में चली गईं थी। समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत अनुदेषों के अनुसार राजस्व पदाधिकारी को अबन्दोवस्त गैर मजरूआ खास भूमि को योग्य श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं भूमिहीन लोगों के साथ स्पष्ट एवं न्यायसंगत लगान पर बन्दोवस्त करना है।

छः अंचलाधिकारियों[18] एवं पाँच उपसमाहत्ताओं, भूमि सुधार[19] के मासिक प्रतिवेदनों की संवीक्षा से यह पता चला कि सरकार में सन्निहित 1,38,044 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि में से 94,451 एकड़ भूमि मार्च 2005 तक योग्य श्रेणियों के साथ बन्दोबस्ती की गई थी। शेष 43,593 एकड़ भूमि विभाग द्वारा बन्दोबस्ती के लिए लंबित थी। भूमि के योग्य व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्त नहीं करने से वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि मे भू–लगान एवं उपकर के रूप में 35.61 लाख रुपये की राजस्व प्रभावित हुई।

Hkknku ;K d vrxr nku e nh xb Hkfe dh cUnkcLrh ugh gkuk

5-2-16 बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अंतर्गत बिहार भूदान यज्ञ समिति में सन्निहित भूमि को समिति द्वारा विहित तरीके से भूमिहीन व्यक्तियों या ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत या सहकारी समितियों को अनुदान में दिया जाना है। इस अधिनियम में अनुदानग्राही को लगान एवं उपकर के भुगतान करने की शर्त्त पर ऐसी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है।

चार अंचलाधिकारियों[20], चार उप समाहर्त्ताओं भूमि सुधार[21] एवं दो अपर समाहर्त्ताओं[22] के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1954–55 के अवधि के दौरान दान में दिया गया 36,573 एकड़ भूदान भूमि में से 20,823 एकड़ भूमि को वर्ष 2004–05 तक बांट दिया गया और 15,750 एकड़ भूमि शेष रह गयी थी। यदि सरकार विगत तीन से पांच वर्षों के दौरान भूमि की बन्दोबस्ती कर देती तो वर्ष 2000–01 से 2004–05 के बीच की अवधि के दौरान 12.49 लाख रुपये का राजस्व लगान एवं उपकर के रूप में प्राप्त होता।

---

[15] *सलामी, भूमि के वर्धित मूल्य में सरकारी अंश है।*
[16] *बेनीपुर, एकंगरसराय, हाजीपुर एवं पूसा*
[17] *सरकारी भूमि जिसका स्वामित्व सरकार में निहित है तथा जिसे योग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्ती किया जा सकता है।*
[18] *छतरपुर, फतेहपुर, गोरौल, काको, नवादा एवं सुपौल।*
[19] *औरंगाबाद, बारसोई, दलसिंहसराय, दरभंगा एवं समस्तीपुर।*
[20] *बारसोई, छतरपुर, काको एवं ओबरा।*
[21] *औरंगाबाद, बेनीपुर, समस्तीपुर एवं शेरघाटी*
[22] *नवादा एवं सारण*

fu"d"k

5-2-17 राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग पट्टाधारियों से मांग एवं संग्रहण के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं रख सका। विहित प्रतिवेदनों का उचित संधारण नहीं किया गया था। बकायों की वसूली के लिए नीलामवाद दायर नहीं किए गए थे। पट्टों को संशोधित नहीं किया गया था जबकि पट्टाधारियों ने निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन दिया था। काबिल लगान भूमि का निर्धारण स्वामित्वों के अभिलेखों के प्रकाशन के 17 वर्षों के विलंब के बाद भी नहीं किया गया था। सरकार अतिक्रमणकारियों से भूमि को खाली कराने अथवा उसके साथ बन्दोबस्ती करने में विफल रही।

Lohdfr

अभिलेखों की नमूना जांच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा के अवलोकनों से सरकार को अगस्त 2006 में अवगत कराये जाने के साथ–साथ भू–राजस्व के लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए आर सी) की बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया गया था। ए आर सी की बैठक 31 अक्तुबर 2006 को हुई जिसमें अपर सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार) ने भाग लिया। सरकार के उत्तर को इस समीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

[k % ço'k dj

5-3 0;olkf;;ksa ds fuca/ku ugha gksus@fooj.k;ksa dks tek ugha djus ds dkj.k dj dk mn~xg.k ugha@de gksuk

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम (प्रवेश कर अधिनियम), 1993 एवं उसके अधीन बने नियमों एवं निर्गत अनुदेषों के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट सामग्रियों (अनुसूचित सामग्रियों) के खपत, व्यवहार एवं बिक्री पर प्रवेश कर का उद्ग्रहण समय–समय पर निर्धारित दर पर किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी जो प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, उसे निबंधन कराने के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होने के सात दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। विहित प्राधिकारी, व्यवसायी द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों के जांचोपरांत आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उसे एक निबंधन प्रमाण पत्र देगा। निबंधन के लिए आवेदन करने में विफल होने पर कर के साथ–साथ 50 रुपये प्रति दिन की दर से प्रत्येक चूक दिवस या कर की राशि के समतुल्य राशि में जो कम हो, अर्थदंड देना होगा। नवम्बर 1998 एवं मई 2002 में निर्गत विभाग के कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रतिवेदनों एवं अन्य सूचनाओं की तिर्यक जांच करनी है तथा चूककर्ता व्यवसायियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करनी है। पुनः कर भुगतान हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी को प्रवेश कर अधिनियम के तहत सभी अनुसूचित सामानों के लिए मासिक आयातित सामग्रियों के सार, प्रत्येक तिमाही के लिए एक सही एवं पूर्ण प्रतिवेदन तथा बिहार वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनपर भुगतेय स्वीकृत कर के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा।

लेखापरीक्षा में संचिकाओं से इकट्ठा की गई सूचनाओं, एवं आठ व्यवसायियों द्वारा जमा किए गए बिहार वित्त अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, के अंतर्गत जमा किये गये घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के उपयोगिता विवरणियों, व्यापारिक लेखों एवं प्रतिवेदनों की तिर्यक जांच में निम्नलिखित का पता चला :

5-3-1 पाँच अंचलों[23] में जून एवं दिसंबर 2005 में यह पता चला कि पांच व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 एवं 2004–05 के बीच 60.10 करोड़ रुपये मूल्य की अनुसूचित सामग्रियां मंगाई थीं। इनमें से विशेष अंचल, पटना एवं सीवान के दो व्यवसायियों जिन्होंने वर्ष 2001–02 एवं 2003–04 के बीच 54.11 करोड़ रुपये की अनुसूचित सामग्रियों को मंगाया था, अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कोई प्रतिवेदन जमा नहीं किया था लेकिन 3.29 करोड़ रुपये भुगतेय प्रवेश कर के विरूद्ध 2.26 करोड़ रुपये प्रवेश कर का भुगतान किया था। बाकी तीन मामलों में व्यवसायियों ने 0.43 करोड़ रुपये प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया था। इसके फलस्वरूव अर्थदंड सहित 2.75 करोड़ रुपये के प्रवेश कर का भुगतान नहीं/कम हुआ जो निर्धारण पदाधिकारियों के ध्यान में नहीं आया।

5-3-2 तीन अंचलों[24] में, अक्टूबर 2004 एवं नवम्बर 2005 के बीच यह पता चला कि तीन व्यवसायियों ने वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के दौरान 6.50 करोड़ रुपये मूल्य की अनुसूचित सामग्रियाँ मंगायी थी। व्यवसायियों ने प्रवेश कर, अधिनियम के प्रावधानों के तहत न तो स्वयं को निबंधित कराया ओर न ही प्रवेश कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायियों का निबंधन तथा 34.48 लाख रुपये प्रवेश कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

कर निर्धारण प्राधिकारी, जो दोनों अधिनियमों के अंतर्गत एक ही थे, दोनों अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा जमा किए गए आवधिक प्रतिवेदनों के आंकड़ों की तिर्यक जाँच द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत निबंधन नहीं कराने और कर जमा नहीं करने के तथ्यों का पता लगाने में विफल रहे।

इसे इंगित किए जाने के बाद सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, सीवान अंचल ने अगस्त 2006 में बताया कि एक व्यवसायी द्वारा प्रवेश कर एवं अर्थदंड जमा किया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान योग्य 26.34 लाख रुपये के विरूद्ध 11.79 लाख रुपये के राषि का भुगतान का साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। पटना पश्चिम अंचल के वाणिज्यकर उपायुक्त ने अक्टूबर 2004 में यह बताया कि सम्बद्ध व्यवसायी ने निबंधन हेतु आवेदन दिया है जबकि सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, जहानाबाद अंचल ने बताया कि व्यवसायियों के निबंधन के लिए कदम उठाए जाएंगे। बाकी मामलों में सहायक वाणिज्यकर आयुक्तों/वाणिज्यकर उपायुक्तों[25] ने अभिलेखों की जांच के लिए सहमति दी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामलों सरकार को अप्रील 2006 में प्रतिवेदित की गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

5-4 vkorl dk fNiko

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी निबंधित व्यवसायी ने अपने आवर्त की गलत विवरणी अथवा अपने खरीद या बिक्री का गलत ब्योरा दिया है, तो व्यवसायी की बात सुनने का अवसर देने के बाद कर के अलावे न्यूनतम कर की राशि के बराबर तथा अधिकतम तीन गुनी राशि अर्थदंड स्वरूप भुगतान करने का निर्देश देंगे।

तीन वाणिज्य कर अंचलों में सितंबर एवं नवम्बर 2005 के बीच कर निर्धारण अभिलेखों, घोषणा प्रपत्रों के प्रमाण पत्र, पथ अनुज्ञा पत्र के उपयोग, क्रय–विवरणी, व्यापारिक लेखे

---

23 *बाढ़, दानापुर, नवादा, विशेष अंचल पटना तथा सीवान*

24 *जहानाबाद, पटना (पश्चिम) एवं पटना सिटी (पश्चिम)*

25 *बाढ़, दानापुर, नवादा, पटना सिटी (पश्चिम) एवं विशेष अंचल, पटना*

एवं प्रतिवेदनों, से यह पता चला कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 एवं 2003–04 के बीच आयात/खरीदी गई 13.86 करोड़ रुपये के अनुसूचित सामग्रियों के मूल्य को छिपाया था। दिसंबर 2003 एवं दिसंबर 2004 के बीच कर–निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी आवर्त को छिपाए जाने का पता लगाने में विफल रहे। वाणिज्य कर उपायुक्त, दानापुर के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने यद्यपि आवर्त छिपाए जाने का पता लगाया और अर्थदंड लगाया परन्तु सितंबर 2004 में कर निर्धारण करते समय प्रवेश कर के उद्ग्रहण में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम अर्थदंड सहित 1.34 करोड़ रुपये के प्रवेश कर का कम उद्ग्रहण हुआ जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

¼yk[k #i;s esa½

Øe l-	vapy dk uke 0;olk;h dh l[;k	fu/kkj.k o"kZ fu/kkj.k dk ekg ,oa o"kZ	oLrq	dj&nj ¼ifr'kr esa½	vfHkys[k dk vuqlkj okLrfod vk;kr eY; fu/kkfjr eY;	vUrj	dj mnxg.k ;kX; jkf'k vFkknM	iosa'k dj dk de mnxg.k
1	वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना विशेष 2	2002–03 जनवरी 2004 से जून 2004 तक	सीमेंट	5	7,480.74 6,250.41	1,230.33	61.52 61.52	123.04
			कोयला	4	1,649.65 1,581.91	67.74	2.71 2.71	5.42
2	वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना सिटी पश्चिम 1	2003–04 दिसंबर 2004	वैक्स्ड पेपर प्लास्टिक लेमिनेसन	5	37.09 7.05	30.04	1.50 1.50	3.00
3	वाणिज्यकर उपायुक्त, दानापुर 1	2001–02 दिसंबर 2003 से सितंबर 2004 तक	आयरन एवं स्टील	4	703.34 645.08	58.26	2.33 (पूर्व में आरोपित)	2.33
					dqy	1]386-37	68-06 65-73	133-79

मामले सरकार को जनवरी और अप्रील 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

5-5 dj nk;rk dh vfu;fer dVkSrh

प्रवेश कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अनुसूचित सामग्रियों के आयात करने वाले व्यवसायी बिहार वित्त अधिनियम के अधीन ऐसी अनुसूचित सामग्रियों की बिक्री के लिए कर देने के लिए बाध्य होंगे। बिहार वित्त अधिनियम के अनुसार कर भुगतान की देयता में कटौती, प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक की जाएगी। बिक्री कर देयता में कटौती के दावे की जांच निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अगली तिमाही प्रतिवेदन देय होने से पहले की जानी चाहिए। निर्धारण प्राधिकारी को कर देयता में कटौती करने से पहले संतुष्ट हो लेना है कि दावा सही है तथा कर निर्धारण अभिलेख में उचित पृष्ठांकन एवं प्रपत्र ईटी–X में प्रमाण पत्र देना है। ऐसे प्रमाण पत्रों के जमा होने के बाद ही बिक्री कर के निर्धारण के समय व्यवसायी को कर–देयता में कटौती की जानी है।

5-5-1 जनवरी 2006 में दरभंगा अंचल में यह पाया गया कि एक व्यवसायी के वर्ष 2002–03 के लिए कर निर्धारण मार्च 2005 में किया गया था और उसने बिहार वित्त अधिनियम के तहत 1.16 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों पर प्रवेश कर के भुगतान के आधार पर 5.79 लाख रुपये भुगतेय कर की देयता में कटौती का लाभ प्राप्त किया था

जबकि इन सामग्रियों की बिक्री वर्ष के दौरान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 5.79 लाख रुपये के कर का अनियमित समायोजन हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद वाणिज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल ने जनवरी 2006 में स्वीकार किया कि यह एक प्रक्रियात्मक भूल था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

5-5-2 दिसंबर 2005 में पाटलिपुत्र अंचल में यह पाया गया कि एक व्यवसायी को 2001–02 निर्धारण वर्ष के लिए बिहार वित्त अधिनियम के अधीन जुलाई 2005 में 4.22 करोड़ रुपये का कर निर्धारित किया गया था तथा 2.54 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों की खरीद पर प्रवेश कर के भुगतान करने पर 11.71 लाख रुपये तक कर देयता की कटौती की अनुमति दी गई थी। इनमें से मात्र 90.21 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियां दूसरे व्यवसायियों को पुनः बिक्री हेतु राज्य के अन्तर्गत (प्रपत्र IX के माध्यम से) बेच दी गई, जिसपर व्यवसायी को बिहार वित्त अधिनियम के तहत कर भुगतान की कोई देयता नहीं थी। 1.64 करोड़ रुपये की शेष राशि पर मात्र 8.11 लाख रुपये प्रवेश कर का समायोजन मान्य था। अतः 3.60 लाख रुपये कर देयता की कटौती की अनुमति दिया जाना अनियमित था।

मामले की सूचना विभाग एवं सरकार को अप्रील 2006 में दी गई थी ; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

5-6 vFkn.M dk mnxg.k ugh gkuk

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी देय कर का भुगतान अगले माह के 15वें दिन तक नहीं करता है, तो निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायी की बातें सुनने का अवसर देने के बाद अर्थदण्ड लगाएंगे जो कर भुगतान की देय तिथि के बाद पहले तीन माह या उसके किसी भाग के लिए कर की राशि का न्यूनतम ढ़ाई प्रतिशत और अधिकतम पांच प्रतिशत होगा तथा इसके बाद अगले प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के लिए को कम से कम पांच प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

चार वाणिज्य कर अंचलों[26] में जुलाई और दिसंबर 2005 के बीच यह पाया गया कि चार व्यवसायियों ने निर्धारण वर्ष 2000–01 से 2002–03 के लिए देय तिथियों तक 1.14 करोड़ रुपये के स्वीकृत कर को जमा नहीं किया था। कर भुगतान में विलंब 12 एवं 892 दिनों के बीच था। निर्धारण प्राधिकारी मई 2003 एवं नवम्बर 2004 के बीच निर्धारण करते समय 25.72 लाख रुपये के अर्थदंड का उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

इसे इंगित किए जाने पर सहायक वाणिज्कर आयुक्त, सीवान अंचल ने जनवरी 2006 में बताया कि करों को समय पर जमा किया गया था। शेष मामलों में प्रभारी पदाधिकारियों ने मामले की जांच करने की सहमति दी। सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, सीवान का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यवसायी द्वारा दी गई विवरणी एवं चालान से स्पष्ट था कि राशि विलंब से जमा की गई थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

मामले सरकार को अप्रील 2006 में प्रतिवेदित किये गये थे; दी गई थी ;उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2006)।

---

[26] *भागलपुर, दानापुर, पटना विशेष एवं सीवान*

x % bZ[k ij dj

5-7 C;kt dk mn~xzg.k ugha gksuk

बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं क्रय नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत कर से संबंधित माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर ईख कर का भुगतान होना आवश्यक है। यदि देय तिथि के भीतर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विलंब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।

तीन ईख पदाधिकारियों[27] के अभिलेखों की नमूना जांच में जून एवं दिसंबर 2005 के बीच यह पता चला कि पेराई वर्ष[28] 2002–03 से 2004–05 से संबंधित कुल 14.93 करोड़ रुपये के ईख कर का निर्धारण सात चीनी मिलों[29] द्वारा भुगतान करने हेतु किया गया था। जबकि इन राशियों का भुगतान मार्च 2003 एवं जून 2006 के बीच विलंब से किया गया था। ब्याज की राशि 47.81 लाख रुपये[30] यद्यपि मिल मालिकों से उद्ग्रहणीय थे, उद्ग्रहित नहीं किए गए थे।

जून 2005 एवं जनवरी 2006 के बीच इसे इंगित किए जाने पर सरकार ने जून 2006 में बताया कि जून 2006 में चूककर्त्ता मिलों को ब्याज के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किए गये थे। वसूली पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

---

[27] *बेतिया, गोपालगंज एवं रामनगर*

[28] *पेराई वर्ष का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होकर अगले वर्ष के 30 जून तक समाप्त वर्ष।*

[29] *एम पी उद्योग लिमिटेड, मझौलिया ; हरिनगर सूगर मिल, हरिनगर ; न्यू स्वदेशी सूगर मिल्स, नरकटियागंज ; तिरूपति सूगर लिमिटेड, बगहा ; भारत सूगर मिल, सिधवलिया ; विष्णु सूगर मिल, हरखुआ एवं सासामूसा मिल्स लिमिटेड, सासामूसा।*

[30] *भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2002–05 के दौरान प्रचलित 6 प्रतिशत बैंक दर पर परिगणित।*